"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2011—भाद्र 1, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में "असुविधाग्रस्त समूह के बालक" से आशय :—

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति के बालक से है;

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के बालक से है;

(ग) ऐसे बालक से है, जिनके संरक्षक इस राज्य के संबंध में भारत शासन द्वारा यथा परिलक्षित आदिम जनजाति समूह के हैं;

(घ) ऐसे बालक से है, जो नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा (2) के खण्ड (झ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट 40 प्रतिशत नि:शक्तता से ग्रस्त हैं; तथा

(ङ) ऐसे बालक से है, जिनके संरक्षक अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के मान्यतापत्र धारी हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State, "child belonging to disadvantaged group" means :—

(a) a child belonging to the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India ;

(b) a child belonging to the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the constitution of India;

(c) a child whose parents belongs to Primitive Tribal Groups as identified by the Government of India in relation to this State;

(d) a child with 40 percent disability as specified under clause (i) of Section 2 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995; and

(e) a child whose parents are having certificate of Recognition of Forest Rights, under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—नि:शुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में "दुर्बल वर्ग के बालक" से आशय है,—

(क) ऐसा बालक जिसके संरक्षक तत्समय प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची में शामिल हों;

(ख) ऐसा बालक जिसके संरक्षक वर्तमान में जीवित न हों, किन्तु उनकी मृत्यु के समय प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची में उनका नाम सम्मिलित था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State the "child belonging to weaker section" means,—

(a) a child whose parents are included in the list of Below Poverty Line effective at that time;

(b) a child whose parents are not alive at present but his name was included in the list of Below Poverty Line effective at the time of their death.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 18 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि, अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनों के परिपालन हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य में, जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले में उनके कार्यक्षेत्र के भीतर, सक्षम प्राधिकारी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 18 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State, the District Education Officer of the related district in his work area, shall be the Competent Authority to carry out the purposes of Section 18 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 29 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिनियम की धारा 29 के प्रयोजनों के परिपालन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को अकादमिक प्राधिकारी अधिसूचित करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State, Director, State Council of Educational Research and Training, shall be the Academic Authority to carry out the purposes of Section 29 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.